



egki zdkd dk; kly;  
if'pe e/; jy]  
bnk ekdW] tcyig

दिनांक 09 नवम्बर से 11 नवम्बर के बीच बनी हुई टिकटों का रिफन्ड चेक/ईसीएस द्वारा

रेल प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 09 नवम्बर से 11 नवम्बर 2016 के बीच रेल आरक्षण कार्यालय से बुक किये गये रेल टिकिट को रद्द करने पर रूपये 10,000/- से अधिक का रिफन्ड आने पर धनवापसी नगद नहीं दी जायेगी। यात्री को उसकी टिकिट का रिफन्ड चेक द्वारा/नेट बैंकिंग द्वारा दिया जायेगा।

इस प्रकार की टिकिट को रद्द करने के लिए यात्री को टिकिट रद्दीकरण की निर्धारित समय सीमा के अन्दर एक टीडीआर भरना होगा और साथ ही अपना ओरीजिनल टिकिट काउन्टर पर जमा करना होगा। रूपये 10,000/- से अधिक का रिफन्ड होने पर धनवापसी चेक द्वारा या यात्री के खाते में ई.सी.एस. द्वारा जमा की जायेगी।

---

संख्या: पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/245/2016

दिनांक 10.11.2016

सम्माननीय संपादक

कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग करें. 'सधन्यवाद

e[; tul i dZ vf/kdkjh  
if'pe e/; jy] tcyig